

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 28.01.2023

धोखाधड़ी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधीयो के नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा एक सशक्त टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 557/2022 धारा 419/420 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त महेन्द्र बौद्ध पुत्र स्व0 सुखराज निवासी जंगल चौरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 17.01.2022 को पीड़ित-1 से 70,000 रुपया इसलिए लिया कि मैं तुम्हे एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे मे अधिकारीयो को पैसा देकर समाज कल्याण विभाग से अच्छा पैसा दिला दुंगा तथा पीड़ित-2 से एससी एसटी एक्ट के मुकदमे मे समाज कल्याण विभाग से पैसा दिलवाने के नाम पर 4,00,000 रुपया वर्ष 2020 मे ले लिया इसका पेशा मुख्य रुप से भोली भाली जनता को गुमराह करके जो एससी एसटी एक्ट के पीड़ित/वादी मुकदमा है उन्हे समाज कल्याण विभाग से पैसा दिलवाने के नाम पर स्वयं पैसा लेना है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महेन्द्र बौद्ध पुत्र स्व0 सुखराज निवासी जंगल चौरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 557/2022 धारा 419/420 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0 10/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 3- मु0अ0सं0 492/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 4- मु0अ0सं0 197/2020 धारा 188/269/270 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 बंश बहादुर यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2- उ0नि0 प्रेम थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 3- कां0 मो0 सलमान थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 4- म0का0 सुधा पाण्डेय थाना झंगहा जनपद गोरखपुर